

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री राकेश कुमार, डी-7, ब्रह्मा अपार्टमेन्ट, सेक्टर-7, प्लाट नम्बर-7, द्वारिका,
दिल्ली ।
प्रार्थना पत्र संख्या 57 / 11
प्रार्थी की ओर से श्री तरुन टण्डन, अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-57 / 11, दिनांक 10.06.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **Weight Lifting plate & Rods** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?
2. फर्म की ओर से श्री तरुन टण्डन, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि Weight Lifting plate & Rods का उत्पादन एवं बिक्री का व्यापार प्रारम्भ करना चाहते हैं तथा उक्त पर कर की दर जाननी चाही गयी है । अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी शासकीय विज्ञप्ति संख्या-KA-NI-2-306 / XI-9 (113) / 99-U.P.Act 15 / 48-order-(8) 2001, दिनांक 29.01.2001 के अन्तर्गत उक्त वस्तुओं को स्पोर्ट्स गुड्स माना गया है । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या-51 के अन्तर्गत स्पोर्ट्स गुड्स कर मुक्त घोषित किया गया है । अपने कथन के समर्थन में उन्होंने यह भी अवगत कराया कि Olympic एवं Common Wealth Games के अन्तर्गत आयोजित Sports event के अन्तर्गत Weight Lifting को सम्मिलित किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि Weight Lifting event एक Sports event है तथा उक्त में प्रयुक्त Weight Lifting plate & Rods भी स्पोर्ट्स गुड्स के अन्तर्गत आती है ।
3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-51 निम्नवत है :-

51	Wooden toys; Lac & Shellac including paseva,mulamma,button lac and kiri ; Sports goods excluding apparels and Sports footwear ; Stop clock (<i>vide Noti.no.-KA.NI-2-1021/XI-9(1)/08....dated 09-04-08 effective from 09-04-08</i>)
----	---

4. सुनवाई हेतु श्री तरुन टण्डन, अधिवक्ता उपस्थित हुए उन्होंने अपने कथन को पुनः दोहराते हुए कहा कि Common Wealth Games में Weight Lifting को ऑकलैण्ड Common Wealth Games में 1950 में Sports event के तहत स्वीकार किया गया था तथा Olympics Games में Weight Lifting को Sports event के रूप में वर्ष 1896 में समर ओलम्पिक में सम्मिलित किया गया था । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री Indo International Industries v. Commissioner of Sales Tax (1981) 3 SCR 294; 1981 UPTC 481, सर्वश्री Filterco v. Commissioner of Sales Tax, M.P.and another 1986 UPTC 476 एवं

सर्वश्री राकेश कुमार / प्रा0 पत्र सं0-57 / 11 / धारा-59 / पृष्ठ-2

माननीय उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सर्वश्री Commissioner of Sales Tax v. M.G. and Company Private Limited, Delhi 1983 UPTC 997 के निर्णयों से इस आशय से प्रस्तुत किया कि किसी भी वस्तु का वर्गीकरण उसके टेक्निकल या सांइनटिफिक अर्थ के बजाए उस वर्गीकरण में रखना चाहिए जैसा जन साधारण अथवा उक्त वस्तु को प्रयोग करने वाले व्यक्ति समझते हों तथा Weight Lifting plate & Rods को Weight lifters खेलकूद का सामान समझते हैं तथा खेलकूद की दुकानों में ही उक्त की बिक्री की जाती है। Olympic Games व Common Wealth Games में Weight Lifting एक Sports event भी है। अतः Weight Lifting plate & Rods को खेल के सामान के अन्तर्गत माना जाना चाहिए।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि Weight Lifting plate & Rods का प्रयोग Weight Lifting के खेल में किया जाता है तथा Weight Lifting Sports event को ओलम्पिक व कामन वेल्थ गेम्स में सम्मिलित भी किया गया है। अतः **Weight Lifting plate & Rods** एक प्रकार का खेलकूद का सामान है तथा इस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-51 के अन्तर्गत करदेयता निर्धारित की जाती है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 21 जुलाई, 2011

ह0 / 21.07.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।